बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आदेश

पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक–7461(S), दिनांक–13.10.2026 द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार निविदाओं में परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जाएगी।

पथ निर्माण विभाग की उक्त अधिसूचना निर्गत तिथि से भवन निर्माण विभाग की निविदाओं हेतु समान रूप से प्रभावी माना जाएगा।

15.10.26

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक– भवन/12–अभि0प्र0(यो0)–02–विविध–11/2026 9803(4) पटना, दिनांक– 15/10/26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख (विद्युत)/ सभी अपर सचिव/ सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/ निदेशक अनुश्रवण/ सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.10.26

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner